



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-870

दिनांक- 17.04.2025

जोन- उत्तरी/अलीगंज

- 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंटवाद संख्या 4067/2004, मु0अ0सं0 346/1997धारा 324/504/506 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी पवन तिवारी पुत्र प्यारे लाल नि0 532/414 बनारसी टोला थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 65 वर्ष को उसके निवास स्थान बनारसी टोला से आज दिनांक- 17.04.2025 को गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य-

गाली गलौज व धमकी देना।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

पवन तिवारी पुत्र प्यारे लाल नि0 532/414 बनारसी टोला थाना अलीगंज लखनऊ उम्र 65 वर्ष(व्यवसाय-प्रोपर्टी डीलिंग का काम)।

04-गिरफ्तारकरने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 संजेश यादव थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. का0 ओम शिव चाहर थाना अलीगंज जनपद लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-872

दिनांक-17.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बक्शी का तालाब

- 01 नफर दो पहिया वाहन चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद दो पहिया वाहन स्पलेण्डर प्लस (UP32CR0230) बरामद ।
- अभियुक्त के विरूद्ध अन्य थानों में दर्ज है वाहन चोरी के अभियोग ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि में पुलिस गस्त व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहन चेकिंग के दौरान एक स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस बल को देखकर अपनी रफतार बढा दी गयी । संदिग्धता के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा घेर घार कर रूकवा लिया गया, मोटरसाइकिल चालक से वाहन से सम्बन्धित कागजात तलब करने पर दिखाने से कासिर रहा एवं अपना नाम **मो0 आसिफ पुत्र स्व0 मो0 खालिद निवासी ग्राम भाखामऊ थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष** बताया, मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा । कडाई से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/04/2025 को मैने अपने गाँव के ही हंसराज पुत्र हजारी की ई-रिक्शा UP32UN7187 चोरी कर लिया था, और उस ई-रिक्शा से मैं जानकीपुरम पहुँचा था कि ई-रिक्शा स्टार्ट न होने की वजह से मैने ई-रिक्शा वही पर छोडकर थोडी दूर पर खडी उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर लिया था । उक्त दो पहिया वाहन के सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम लखनऊ से जानकारी की गयी तो पता चला कि वहां पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। ई-रिक्शा चोरी के सम्बन्ध में थाना बीकेटी में मु0अ0सं0 131/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य:-

अभियुक्त अपने भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु मोटर वेहिकल चोरी कर उसे बेच कर धन अर्जित करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

मो0 आसिफ पुत्र स्व0 मो0 खालिद निवासी ग्राम भाखामऊ थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष(व्यवसाय-मजदूरी)

04-बरामदगी:-

- 01 अदद दो पहिया वाहन स्पलेण्डर प्लस (UP32CR0230)

05- अभियुक्त मो0 आसिफ उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 131/2025 धारा 303(2)बीएनएस,थाना बीकेटी, लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना जानकीपुरम, लखनऊ ।
3. 0036/2024 धारा 379, 411 भादवि थाना अलीगंज, लखनऊ ।
4. 0172/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना जानकीपुरम, लखनऊ ।

06-गिरफ्तारी करने वाली थाना बीकेटी की पुलिस टीम -

1. उ0नि0 अभिमन्यू शाह
2. उ0नि0 श्री शेषमणि मिश्रा
3. उ0नि0 श्री अनुराग गोस्वामी
4. का0 खैबर अब्बास
5. का0 चालक अम्ब्रीश सिंह



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-875

दिनांक:-16-04-2025

जोन-पूर्वी/ थाना-गोमतीनगर

आपरेशन कन्विकशन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा धारा 376 डी/342/328/506 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ से सम्बन्धित 02 नफर आरोपीगण को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/-5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे आपरेशन कन्विकशन के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय श्री अमित वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) श्री शशांक सिंह के कुशल पर्यवेक्षण एवं श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) श्री पंकज कुमार सिंह तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर श्री विनय कुमार द्विवेदी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक गोमतीनगर श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 संजय शर्मा के द्वारा अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय प्रथम लखनऊ द्वारा दिनांक 15.04.2025 को एसटी सं0-282/2019 मु.अ.सं.-1168/18 धारा 376 डी/342/328/506 भादवि थाना गोमतीनगर लखनऊ में निर्णायक फैसला दिया गया । अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण- 1. दीपक पुत्र गोपाल राम पता नागर थाना बागेश्वर जिला बागेश्वर राज्य उत्तराखंड 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम कस्यप निवासी पिपरी थाना कटराबाजार जिला गोंडा थाना गोमतीनगर लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- 5000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा दिया गया ।

02-नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

1. दीपक पुत्र गोपाल राम पता नागर थाना बागेश्वर जिला बागेश्वर राज्य उत्तराखंड
2. जितेन्द्र कुमार पुत्र शिवराम कस्यप निवासी पिपरी थाना कटराबाजार जिला गोंडा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त -

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना
1.	1168/2018	376 डी/342/328/506 भादवि	गोमतीनगर

03-फैसला-

- अभियुक्तगण दीपक एवं जितेन्द्र कुमार प्रत्येक को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 5000-5000 (पांच-पाच हजार रुपये), अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगताना होगा।

04-पैरवीकर्ता-

- 01-प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार त्रिपाठी थाना गोमतीनगर लखनऊ
- 02-का0 संजय शर्मा (पैरोकार) थाना गोमतीनगर लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं०-871

दिनांक-17.04.2025

- 01 नफर वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2025 को अपराध एंव जुर्म जरायम की रोकथाम हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर महोदय के आदेशानुसार पेशेवर एवं संगठित अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री विश्वजीत श्रीवास्तव व अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी श्री धनंजय सिंह व सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद श्री ऋषभ यादव व प्र०नि० सुरेन्द्र सिंह के निर्देशन व नेतृत्व में क्षेत्र में सघन चेकिंग व तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में 30नि० दीपक कुमार मय 30नि० अजय प्रताप सिंह के मलिहाबाद क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर खास की सूचना के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा जारी एनबीडब्लू वाद सं० 992/2020 अपराध संख्या 01/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मलिहाबाद लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त हारून पुत्र साजिद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हमिरापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष को घर से कारण गिरफ्तारी बताते हुये हिरासत पुलिस लिया गया। जिसे मा० न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है।

वाराण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

1. हारून पुत्र साजिद उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम हमिरापुर थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी
2. 30नि० अजय प्रताप सिंह
3. 30नि० दीपक कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-874

दिनांक-17.04.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-काकोरी

- हर्ष फायरिंग के आरोपी को 24 घंटे के भीतर किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त 01 अदद राईफल लाईसेंस .315 बोर मय 18 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर किया गया बरामद।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.04.2024 को वादी श्री नफीस पुत्र शमशेर उर्फ शेरा निवासी गहलवारा थाना काकोरी जनपद लखनऊ के द्वारा प्रार्थना दिया गया कि ग्राम गहलवारा में चाँद बाबू उर्फ चन्दू पुत्र स्व0 नादिर की पुत्री की विदाई समारोह में अज्ञात लोगो द्वारा की गयी हर्ष फायरिंग से मेरे पिता शमशेर उर्फ शेरा की मृत्यु हो गयी है। जिसके आधार पर थाना काकोरी पर मु0अ0सं0 114/2025 धारा 106 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया घटना के अनावरण व अभि0 की गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय से पुलिस टीमों का गठन किया गया विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन, इलेक्ट्रॉनिक व भौतिक साक्ष्यों एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर अभि0 इमरान गाजी पुत्र जब्बार निवासी काकोरी मोड़ सरोसा भरोसा थाना पारा जनपद लखनऊ द्वारा घटना कारित करना पाया गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना स्थानीय के द्वारा अभि0 के मिलने वाले संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी, मुखबिर द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर आज दिनांक 17.04.2025 को अभि0 इमरान गाजी उपरोक्त को कठिगारा अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 की निशानदेई पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद राईफल लाईसेंस .315 बोर मय 18 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त द्वारा समाज में वर्चस्व बनाने के उद्देश्य से हर्ष फायरिंग करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. इमरान गाजी पुत्र जब्बार निवासी काकोरी मोड़ सरोसा भरोसा थाना पारा जनपद लखनऊ।

04-बरामदगी:-

- 01 अदद राईफल लाईसेंस .315 बोर
- 18 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1. उ0नि0प्रदीप कुमार यादव कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री अंकित यादव, कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
3. का0 सुभाष यादव कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ
4. का0 धीरेन्द्र मौर्या कोतवाली काकोरी कमिश्नरेट लखनऊ

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. हिमांशु पुत्र परशुराम निवासी- समौद्वीपुर थाना गाजीपुर लखनऊ स्थायी पता- ग्राम लालपुर थाना संधाना जनपद सीतापुर उम्र 22 वर्ष (व्यवसाय-कारपेन्टर का कार्य करना)

04-अनावरित/पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 0126/2025 धारा 137(2)/87 बी०एन०एस० थाना गाजीपुर लखनऊ

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री फनीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री आशीष पाण्डेय
3. का0 जगपाल
4. म0का0 अनुपम तिवारी



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-872

दिनांक-17.04.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-बक्शी का तालाब

- 01 नफर दो पहिया वाहन चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद दो पहिया वाहन स्पलेण्डर प्लस (UP32CR0230) बरामद ।
- अभियुक्त के विरूद्ध अन्य थानों में दर्ज है वाहन चोरी के अभियोग ।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16/17.04.2025 की रात्रि में पुलिस गस्त व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहन चेकिंग के दौरान एक स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल चालक द्वारा पुलिस बल को देखकर अपनी रफतार बढा दी गयी । संदिग्धता के आधार पर उक्त मोटरसाइकिल को पुलिस द्वारा घेर घार कर रूकवा लिया गया, मोटरसाइकिल चालक से वाहन से सम्बन्धित कागजात तलब करने पर दिखाने से कासिर रहा एवं अपना नाम **मो0 आसिफ पुत्र स्व0 मो0 खालिद निवासी ग्राम भाखामऊ थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष** बताया, मोटरसाइकिल के बारे में पूछने पर गोलमोल जवाब देने लगा । कडाई से पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि दिनांक 03/04/2025 को मैने अपने गाँव के ही हंसराज पुत्र हजारी की ई-रिक्शा UP32UN7187 चोरी कर लिया था, और उस ई-रिक्शा से मैं जानकीपुरम पहुँचा था कि ई-रिक्शा स्टार्ट न होने की वजह से मैने ई-रिक्शा वही पर छोडकर थोडी दूर पर खडी उक्त मोटरसाइकिल चोरी कर लिया था । उक्त दो पहिया वाहन के सम्बन्ध में थाना जानकीपुरम लखनऊ से जानकारी की गयी तो पता चला कि वहां पर मु0अ0सं0 58/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। ई-रिक्शा चोरी के सम्बन्ध में थाना बीकेटी में मु0अ0सं0 131/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

02-अपराध कारित करने का तरिका/उद्देश्य:-

अभियुक्त अपने भौतिक व दुनियावी लाभ हेतु मोटर वेहिकल चोरी कर उसे बेच कर धन अर्जित करना ।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

मो0 आसिफ पुत्र स्व0 मो0 खालिद निवासी ग्राम भाखामऊ थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र करीब 28 वर्ष(व्यवसाय-मजदूरी)

04-बरामदगी:-

- 01 अदद दो पहिया वाहन स्पलेण्डर प्लस (UP32CR0230)

